


लालाराम

फर्द अहकाम  
अशोक  
बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर/प्रार्थना पत्र 72/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.05.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ।</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिर्राज प्रजापत ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा अतः अप्रार्थीगणों को विना आवेदन की सूचना दिए एक पक्षीय सुनवायी का व्यादेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रकृति का प्रतीत होता है अतः विना गुणावगुण पर विचार किये अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 12/2 रकबा 3.0348 हैक्टेयर स्थित ग्राम नयागांव प.ह. मनोहरपुरा भू.अ.नि. लालगढ तह. बस्सी जिला जयपुर में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.06.2024 तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वादपत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हो। इस आशय का प्रार्थी आज ही शपथ पत्र पेश करे।</p> <p>पत्रावली पुनः दिनांक 25.06.2024 को पेश हो।</p>	
25/06/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>पत्रावली वास्तु शेष प्रतिवादीगण प्रार्थीगणों की रजिस्ट्रार तलवी हेतु दिनांक 29/07/24 को पेश हो।</p>	
29/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 11 भी उपस्थित।</p>	

नोटिस जारी  
DN  
2336-58  
20/06/24

  
सहायक कलक्टर  
बस्सी, जयपुर ग्रामीण

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती  
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>भूजमी सैख्या 1 लुगा-10 एवं 12 लुगा-23 के विरुद्ध मूखवाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इतने उक्त प्रार्थना पत्र में भी भूजमी सैख्या 1 लुगा-10 एवं 12 लुगा-23 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p> <p>उत्तपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना अस्वार्थ निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं उत्तपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौरे में बहस जादिर तर्कों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी शूक्ति ख.नं. 12/2 रकबा 3.0348 हेक्टर स्थित ग्राम नयागांव प.ह. मनोहरपुरा शू.अ.नि. लालगाह तह बस्ती जिला जयपुर में उत्तपक्षों को जरिये अस्वार्थ निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उत्तपक्ष उक्त आराजी शूक्ति पर ताफैखला वाद के मौदे एवं रिकॉर्ड की भयास्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकनील दाखिल किये हों।</p>